(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रेवदर

श्री मूल सिंह S/o मानसिंह राजपूत निवासी रणमारवा बनाम श्री पृथ्वीराज सिंह S/o पिन्टू सिंह उर्फ शैलेन्द्र सिंह, राजपूत रणमारवा (38)

किस्म मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 188 RTAC राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद सं. 55/ सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
31/7/18	यह राजस्व वाद वादी/ वादीगण की ओर से प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 RTAC राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अंतर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया गया हैं । वाद पत्र से न्यायालय प्रथम दृष्टिया सहमत होने से वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगणो को सम्मन जारी हो । पत्रावली आयन्दा वास्ते तामीली रिपोर्ट एवं जवाबदावा हेतु दिनांक 6.8.18 को पेश हो । सहायक कलक्टर रेवदर, जिला-सिरोही	642 31/7/18
	6.8.18 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं 33 ईश्वरसिंह व उनके अधिवक्ता श्री SS देवड़ा उपस्थित तथा समालसनामा पेश किया। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके परिवार वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अतः वाद को खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (ओमेन्द्र सिंह) सहायक कलक्टर	वादी की मृत्यु होने से हम वाद आगे चलाना नहीं चाहते हैं देवड़ा (वादी)